S.No.	Item	Static Unit
37	Shami Kabah (2 pieces) 50 gms.	15.00
38	Dry Vegetable 165 gms.	8.00
39	Boiled vegetable 200 gms.	8.00
40	Chapati 25 gms.	0.75
41	Dal 165 gms.	5.00
42	Potatoo chips 100 gms.	6.00
43	Curd 100 gms.	2.50
44	Parantha 50 gms.	1.50
45	Jodhpuri Piyaj Ki Kachori 100 gms.	6.00
46	Rajmah Curry 200 gms.	5.00
47	Shikhanjavi 250 ml.	3.00
48	Rumali Roti 50 gms.	1.25
49	Bread Slice small each	0.50
50	Hamburger Non-vegetarian (65 gms.)	10.00
51	Paneer pakora 120 gms.	10.00
52	Hamburger vegetarian (50 gms.)	8.00
53	Vegetable sandwitch (2 pieces)	6.00

Running of trains by private parties

2930. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA': Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that private parties are being allowed to run private trains in some sectors;

(b) if so, what are the companies so allowed and the sectors allotted; and

(c) what are the reasons for doing so?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of global bids invited in 1994 letter of intent has been awarded to M/s Sterling Holiday Resorts (India) Ltd., Chennai for ownership, marketing and management of tourist trains on the following sectors:—

(i) Delhi-Jaipur-Agra-Gwalior-Jhansi (Khajuraho)-Varanasi-Lucknow-Delhi.

(ii). Bangalore-Mysore-Chennai-Kodaikanal Road-Kanyakumari-Trivandrum-Cochin-Mettupalayam (Ooty)-Bangalore.

(c) Promotion of inbound tourism by rail and to earn revenues for Railways.

इंण्डियन रेलवे कांफ्रेस एसोसिएशन कोचिंग प्रशुल्क के अंतर्गत रेल भाड़े में स्थाई छूट

2931. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार आई0 आर0 सी0 ए0 कोचिंक प्रशुल्क के अंतर्गत रेल भाड़े में स्थाई रूप से लगभग 104 संस्थाओं को छूट दे रही हैं,

(ख) यदि हां, तो रेल भाड़े में दी जाने वाली छूट की क्या प्रक्रिया हैं तथा स्थाई रूप हैं छूट पाने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं ,

(ग) क्या यह भी सच हैं कि लाइफ इटरनल ट्रस्ट, नई दिल्ली ने स्थाई छूट के लिए आवेदन किया था, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संस्था को स्थाई छूट न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) स्थायी रियायत हेतु अर्हक संगठनों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया हैं । [**देखिए परिशिष्ट** 186, **अनुपत्र सं**0 53] प्रतिनिधियों को संबंधित संगठन के सचिव से अपेक्षित प्रमाणपत्र के साथ मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक आदि

जैसे संबंधित रेलवे अधिकारियों के पास जाना होता हैं । रेलवे अधिकारी एक प्राधिकार जारी करता हैं जिसके आधार पर स्टेशन मास्टर बहिर्यात्रा तथा वापसी यात्रा के लिए रियाती टिकटें जारी करता हैं ।

(ग) और (घ) लाइफ एटर्नल ट्रस्ट, नई दिल्ली विगत कुछ वर्षों स्थायी रियायती की स्वीकृति के लिए अनुरोध कर रहा हैं । रेल टैरिफ जांच समिति तथा रेल किराया और माल भाड़ा समिति ने सिफारिश की थी कि रियायत कम से कम की जानी चाहिए । अतः नीतिगत मामले के रूप, में, वित्तीय तंगियों के कारण अन्य संगठनों के नाम इस सूची में शामिल नहीं किए जा रहे हैं । उनके अलग-अलग सम्मलेलनों के लिए रियायत की स्वीकृति हेतु अनुरोधों पर गुणदोषों के आधार पर वित्तीय तंगियों के अध्यधीन विचार किया जाना जारी रहेगा ।

Rerouting of Gns 1 EMU train

2932. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that EMU train GNS 1 at 8.55 a.m. from Ghaziabad to Shakur Basti has been rerouted from Mathura instead of New Delhi and it is invariably late at Ghaziabad since then and has been a problem for office goers;

(b) if so, what steps are being taken up by Government to originate the local train at the same time from Ghaziabad; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) No, Sir. However, the train does run late some times due to bad weather, Alarm Chain Pulling, miscreat activities, accidents, equipment failures etc. besides operational reasons. All efforts, including round the clock moritoring, are made to run this train to schedule.

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत रूप से यात्रा करना

2933. **श्री ओंकार सिंह लखावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को इस बात की जानकारी हैं कि रेलवे पास धारक यात्री जो प्रतिदिन दिल्ली से जयपुर, जोधपुर और अहमदाबाद जाने वाली गाड़ियों में यात्रा करते हैं, वे इन गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में जबरदस्ती घुस आते हैं जिससे आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर देते हैं, और

(ख) क्या रेलवे का इन यात्रियों को अनधिकृत रूप से आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने से रोकने के लिए कोई कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने का विचार हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां । कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) आरखित सवारी डिब्बों में टिकट जांच कर्मचारियों को तैनात करने के अलावा टिकट रहित अनियमित यात्रा के संबंधी में तथा आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने हेतु भी रेल सुरक्षा बल तथा राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों के दस्तों द्वारा नियममित रूप से गहन अभियान चलाए जाते हैं । वर्ष 1998-99 (फरवरी, 99 तक) दौरान 11.07 लाख जांचे आयोजित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 100.14 लाख व्यक्ति पकड़े गये थे तथा रेल अधिनियम के उपलबंधों के अनुसार कार्रवाई की गई।

Provision of free access to Passengers for Anand Vihar railway station

2934. SHRI SURYBHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of Railways be pleased to refer to answer to Unstarred Question 4262 given in the Rajya Sabha on 24th July, 1998 and state:

(a) the details of the Civil Authorities and the concerned residents associations with whom the matter regarding removal of gates has been taken up and what has been the outcome thereof;

(b) whether it is a fact that Railway Ministry is unable to take a justifiable[7] impartial decision in the matter due to